संख्या- 05/2020/76/38-6-2020

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-25 फरवरी, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-09-ग्राम्य विकास बजट प्रकोष्ठ" में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास अनुभाग-10 के अन्तर्गत गठित सेल में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट)-01 वेतन मद में हो रही बचत की धनराशि रू0-2.10 लाख(रूपये दो लाख दस हजार मात्र) को लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-09-ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ-02-मजदूरी मद में वित्त विभाग के आर0ई0 सं0-38 /वित्त ई-2-107/दस-2020, दि0-14.02.2020 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-2.10 लाख(रूपये दो लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) उपर्युक्त दर्शायी गयी धनराशि का उपयोग ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के स्तर पर किया जायेगा। अतः इस धनराशि के संबंध में आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को आहरण वितरण अधिकारी नामित किया जाता है।

(2) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रखकर आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाये।

(3) अनुपयोगित धनराशि वर्षान्त में सुसंगत लेखा शीर्षक में राजकोष में जमा की जाएगी।

(4) प्रस्तर-2, 3 में दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाए।

(5) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट)-01-वेतन से आहरित किया जाएगा एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-09-ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ-02 मजदूरी मद" के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/2019/बी-01-170/ दस-2019-231/2019, दि0-22.03.2019 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: बी0एम0-09 प्रपत्र

भवदीय,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2020/76(1)/38-6-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- अनुभाग अधिकारी, लेखा/सहायक लेखाकार, लेखा कोष्ठक, ग्राम्य विकास विभाग।
7- आहरण वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, सचिव शाखा।
8- विशेष कार्याधिकारी एवं निदेशक, ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ।
9- नियोजन अनुभाग-4/ग्राम्य विकास अनुभा-2/3, उ0प्र0 शासन।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व छपे अनुदेशों को भलिभांति देख लिया जाये)

वित्तीय वर्ष-2019-20

अनुदान सं0-13

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण **वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट)-01-वेतन	66481.56	2.10	2.10	2.10	66479.46
योग	**66481.56**	**2.10**	**2.10**	**2.10**	**66479.46**

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण **(धनराशि लाख रूपये में)**

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान /विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-09-ग्राम विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ-	0.01	2.11	2.10	2.10	2.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

02-मजदूरी					
योग	**0.01**	**2.11**	**2.10**	**2.10**	**2.11**

(1) 03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट) के मानक मद 01-वेतन के अन्तर्गत धनराशि रू0-2.10 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत है।

(2) 09-ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के अन्तर्गत मानक मद-02-मजदूरी में बजट उपलब्ध न होने के कारण रू0-2.10 लाख की अतिरिक्त बजट की अपरिहार्य आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग।

आर0ई0सं0-388/वित्त ई-2-107/दस-2020, दिनांक-14.02.2020

सेवा में,

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम),
उ0प्र0, इलाहाबाद।

केशव प्रसाद,
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।